पांचवां भारत क्षेत्र सीपीए सम्मेलन समाप्त हुआ

गोवा, 13 फरवरी, 2015 : पांचवां भारत क्षेत्र सीपीए सम्मेलन, जिसका उद्घाटन लोक सभा अध्यक्ष और सीपीए भारत क्षेत्र की कार्यकारिणी समिति की चेयरपर्सन श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा 12 फरवरी, 2015 को गोवा में किया गया था, आज समाप्त हो गया।

अपने समापन संबोधन में, लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि यह अत्यंत संतुष्टि की बात है कि प्रतिभागियों ने अपने विचारों का आदान-प्रदान करने तथा पिछले दो दिनों के दौरान एक अत्यंत प्रभावी तरीके से उनकी भूमिकाओं का निर्वहन करने के लिए एक बेहतर अंतर्दर्शन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के मंच का प्रयोग अत्यंत लाभप्रद रूप में किया।

यह उल्लेख करते हुए कि दो-दिवसीय सम्मेलन की समग्र विषय-वस्तु "संसदीय लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण" भारत में विधायी निकायों की विश्वसनीयता का अभिन्न अंग है, श्रीमती महाजन ने टिप्पणी की कि यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि 'विधायक और उनकी प्रतिनिधिकारी भूमिकाः विधानमण्डलों के निर्बाध कार्यकरण की आवश्यकता' विषय पर आयोजित पूर्ण सत्र-I के दौरान कतिपय केन्द्रीय मुद्दों पर व्यापक सर्वसम्मति उभरकर सामने आई, जैसे :

- विधायक आज विविधतापूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं तथा उनके लिए आवश्यक है कि वे उन लोगों, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, की वर्तमान अपेक्षाओं पर खरे उतरें।
- विधायकों को यह समझना होगा कि वे समूचे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः उन्हें अपने निर्वाचन-क्षेत्र की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के साथ-साथ समग्र लोक हित के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। अतः विधायकों के लिए एक व्यवहार्य अभिमुखीकरण की आवश्यकता है जो उन्हें उनके उत्तरदायित्व के प्रति जागरुक बनाए।
- विधानमण्डलों की कार्यवाहियों में बार-बार होने वाला व्यवधान प्रतिनिधिकारी निकायों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की साख को क्षीण करता है। अनेक अवसरों पर, सभा की कार्यवाहियों में किए जाने वाले अभिप्रेरित व्यवधानों को नियंत्रित करने के लिए सुधारात्मक उपाय/कार्रवाई की जानी होती है। यद्यपि सकारात्मक और यदा-कदा किए

जाने वाले व्यवधानों को स्वीकार्य माना जा सकता है, यदि वे मोटे तौर पर सुस्थापित मानदण्डों के भीतर हों।

- विधायी कार्य को अधिक गंभीरता और प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- पूर्ण सत्र-। में चौदह प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें प्रो. पी.जे.कुरियन, उपाध्यक्ष, राज्य सभा और श्री सुभाष कश्यप, पूर्व लोक सभा महासचिव एवं प्रतिष्ठित सांविधिक विशेषज्ञ शामिल थे।
- "सुशासन के लिए संसदीय प्रक्रियाओं और उपायों का इष्टतम उपयोग तथा लोक महत्व के मामलों को उनके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना" के महत्वपूर्ण विषय पर पूर्ण सत्र -।। के दौरान किए गए विचार-विमर्श का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस पूर्ण सत्र में हुई परस्पर चर्चा इसमें भाग लेने वाले 14 प्रतिनिधियों द्वारा किए गए सार्थक एवं अनुभवजन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से और अधिक सारगर्भित हो गई।

उन्होंने उस रीति की प्रशंसा की जिसके द्वारा प्रतिभागियों के मध्य निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सहमतिजन्य राय उभरकर सामने आईः

- विधायकों की बिरादरी को सर्वप्रथम लोगों के विश्वास को जीतना चाहिए और विधायकों को उपलब्ध प्रक्रियात्मक साधनों का प्रभावशाली रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, समिति प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने की भी आवश्यकता है। जिस बात की आवश्यकता है, वह विधायकों को निर्दिष्ट किए गए कार्य के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता है जो देश के लोगों का आम हित सुनिश्चित कर रही है।
- प्रभावकारी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना लोकतंत्र की संधारणीयता की कुंजी है।
- यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि संसद और विधानमण्डल प्रगतिशील विधान और अर्थपूर्ण वाद-विवादों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन और विकास लाने में वास्तविक रूप से उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।

इससे पूर्व, माननीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार श्री मनोहर पर्रिकर ने पूर्ण सत्र -।। के दौरान मुख्य वक्ता के रूप में चर्चा को आरंभ करते हुए उल्लेख किया कि विधानमंडल निकायों के कार्यकरण के संबंध में निरंतर बिगड़ती हुई स्थिति की जिम्मेदारी दो कारकों को दी जा सकती है

- पहला, राज्य विधानमंडलों की बैठकों की घटती संख्या और दूसरा, अशोभनीय घटनाओं और क्षीण उपस्थिति के कारण विधानमण्डलों का अप्रभावी कार्यकरण। उनका मत था कि सुशासन मुख्य रूप से कल्याण और विकासात्मक स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के माध्यम से लोगों का विश्वास हासिल करने के इर्द-गिर्द घूमता है। इस संदर्भ में, एक विधायक द्वारा एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया जाता है, जो सुशासन के प्रकट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विधायी साधनों तथा सभा के समय का इष्टतम प्रयोग करता है।

पूर्ण सत्र -।। के द्वितीय मुख्य वक्ता लोक सभा के माननीय उपाध्यक्ष डा. एम. तम्बिदुरै ने इस बात पर बल दिया कि किसी लोकतांत्रिक प्रणाली में सुशासन का उद्भव करने तथा लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति करने में संसद एक समर्थकारी भूमिका का निर्वहन करती है। इस दिशा में, उनकी यह राय थी कि देश के लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने तथा उनका विश्वास हासिल करने को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। इसकी प्राप्ति के लिए एक द्विआयामी दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विधानमंडल और राजनीतिक कार्यकारिणी द्वारा कड़े पहलकदमों के साथ-साथ अवसंरचनात्मक विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।